प्रेस विज्ञप्ति

18.05.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के प्रावधानों के तहत **लगभग 700.27 करोड़ रुपये** की अचल संपत्तियों को मरहूम इकबाल मिर्ची और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित केस में अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। संलग्न संपत्तियों में मुंबई के वर्ली में स्थित तीन प्रमुख संपत्तियां – राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू – शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग 497 करोड़ रुपये है, साथ ही दुबई में स्थित विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका मूल्य लगभग 203.27 करोड़ रुपये है।

ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिनमें एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन की सीआर संख्या 83/1994, येलो गेट पुलिस स्टेशन की सीआर संख्या 188/1994 और भायखला पुलिस स्टेशन, एंटी-नारकोटिक्स सेल और डीसीबी, सीआईडी, मुंबई पुलिस द्वारा मरहूम इकबाल मोहम्मद मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची के खिलाफ आईपीसी, शस्त्र अधिनियम, टाडा और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला कि इकबाल मिर्ची संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की गतिविधियां और अन्य अपराध शामिल हैं, जिनके माध्यम से अपराध की पर्याप्त धनराशि उत्पन्न की गई और परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के नाम पर भारत और विदेश में संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से उसका शोधन (लॉन्ड्रिंग) किया गया।

जांच में आगे पता चला कि सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट से संबंधित वर्ली की उपर्युक्त संपत्तियां 1986 में मेसर्स रॉकसाइड एंटरप्राइजेज के माध्यम से 6.50 लाख रुपये में खरीदी गई थीं। हालांकि कागजों पर संपत्तियां ट्रस्ट के नाम पर रहीं, लेकिन वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण इकबाल मिर्ची और उनके परिवार के सदस्यों के पास ही रहा। जांच में यह साबित हुआ कि ट्रस्ट ने इकबाल मिर्ची के साथ मिलकर अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और पिछली कुर्की कार्यवाही से संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।

आगे की जांच से पता चला कि अपराध से प्राप्त धनराशि का उपयोग दुबई के होटल मिडवेस्ट अपार्टमेंट और कॉर्पोरेट बे और डीईसी टावर्स में स्थित 14 रियल एस्टेट इकाइयों सहित विदेशी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था, जो आसिफ इकबाल मेमन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर थीं।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आसिफ इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई में अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 26.02.2021 के आदेश द्वारा आसिफ इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन और हाजरा इकबाल मेमन को एफईओए, 2018 के प्रावधानों के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।